>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Ban on Witchcraft Bill, 2010, moved by Shri Om Prakash Yadav on 27th April, 2012 (Bill Negatived).

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): सभापति महोदय, श्री ओम प्रकाश यादव जी ने जादू टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 रखा था। इसमें इनके बहुत सारे सुझाव आए हैं और यह बहुत अमानवीय घटना है कि महिलाओं के साथ ही यह डायन प्रथा की बात कही जाती है और जो बिल की बात कही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में या अन्य कुछ राज्यों में जो महिला अकेली है या विधवा हो गई है या घर में रहकर चार दीवारी के भीतर बंद हैं और कभी कभी उनको प्रोपर्टी का भी शेयर नहीं मिलता है तो इस वजह से भी उनको डायन कहकर मार दिया जाता है।

16.06 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

हमारे मंत्रालय ने बहुत बार इस पर विचार किया है। मैं समझती हूं कि हम अपने मंत्रालय की ओर से इस पर स्टडी करवा रहे हैं। उस स्टडी के आने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और जो पीछे मेरे पास रिकार्ड है कि समय समय पर महिलाओं को इस तरह से घर से बाहर डायन कहकर या पत्थर मारकर या प्रताड़ना देकर मार दिया जाता है। मैं समझती हूं कि हमारा मंत्रालय चाहता है कि डायनप्रथा पर एक रोक लगे और इस प्रथा में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराये जाने की बात जो बिल में कही गई है, अभी तक हमारे इंडियन पेनल कोड में धारा 302 और 304 के अन्तर्गत जिसमें हम कहते हैं कि उसे सजा-ए-मौत दी जाए, इस बात को रखा गया है।

जिस दूसरे प्रश्न पर विचार किये जाने की जरुरत है, वह यह है कि क्या इस विषय पर केन्द्रीय कानून की कोई आवश्यकता है कि नहीं है क्योंकि कुछ राज्यों में यह स्थापित है और उस राज्य में जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो हत्या के उद्देश्य में डायन प्रथा में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत हत्या और धारा 304 के अन्तर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के आंकड़े इकट्ठे करता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2005 में हत्या के उद्देश्य से डायन प्रथा की कुल घटनाओं की संख्या वर्ष 2005 में 197 थी जो 2010 में घटकर 179 हुई और वर्ष 2010 के आंकड़ों के राज्यवार विश्लेषण में यह पता चला है कि मामले मुख्य रूप से हरियाणा में 57, उड़ीसा में 31, आध्र प्रदेश में 26, मध्य प्रदेश में 18, झारखंड में 15 और महाराष्ट्र में 11 पाये गये। छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, मेघालय जैसे राज्यों में भी इन मामलों की संख्या दस से भी कम रही है। इन राज्यों में भी जनजातीय क्षेत्रों में तथा दलित समुदाय के विरुद्ध ऐसे मामलों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि एक तो इस तरह के मामलों की कुल संख्या अधिक नहीं है। लेकिन फिर भी जो संख्या है, बहुत ही अमानवीय है। मुझे समझ नहीं आता कि हम डायन प्रथा में डायन महिलाएं ही क्यों होती हैं? हम कभी पुरुष को तो नहीं कहते हैं कि उसकी नजर किसी को लग गई या उसकी नजर से कोई बच्चा बीमार हो गया या बड़ा व्यक्ति बीमार हो गया। इसके पीछे कुछ कुरीतियां हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कभी होता है कि एक बेचारी महिला को अबला मानकर कि उसका कोई नहीं है, उसे प्रताड़ना देते हैं। कहीं जो हमने अधिकार दिये हैं कि कहीं वह अपना अधिकार न मांगे, इससे वंचित कराने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और डायन का नाम दे दिया जाता है।

मैं समझती हूं कि इस मुद्दे पर हमारा एनसीडबल्यू अपनी जागरूकता प्रदान करने के लिए समय समय पर सेमानीर करता है। कुछ एनजीओ मिलकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं और इस बात को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने अपने कानून भी बनाए हैं और मैं समझती हूं कि जगह जगह जिन राज्यों में ये हैं, उनके अपने कानून भी बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल यहां उठा था। श्री ओम प्रकाश यादव जी का यह बिल है और उनको मैं अब कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मामले इसमें आए हैं और इसमें हमारे बहुत सारे सांसद- सतपाल महाराज जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री जगदम्बिका पाल जी और श्री हुक्मदेव जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं। अभी वे यहां नहीं हैं। वीरेन्द्र कुमार जी ने अपनी बात कही। मैं यह मानती हूं कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जादू टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 जो आया है लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी एक स्टडी कराई जा रही है।

जैसा कि मैंने कहा एक स्टडी कराई जा रही है और इसके बाद देखेंगे कि किस राज्य में क्या रुख होगा। उस राज्य में भी कानून बने हैं। निÂकÂाऩ पर पहुंचने के बाद इस कुछ विचार किया जाएगा। मैं समझती हूं कि ओम प्रकाश यादव जी प्रस्तावित विधेयक वापिस ले लें और इसका समर्थन न किया जाए। मैं इस बात को रखना चाहती हूं।

MADAM CHAIRMAN : I think the hon. Member is not present in the House. So, we may now put the motion for consideration to the vote of the House.

The question is:

> "That the Bill to provide for ban on witchcraft in any form in the country be taken into consideration."

The motion was negatived.

MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 75. Shri L. Rajagopal – not present.